

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

पता-किशोरपुरा कोटा-09 (राज0), ईमेल:-ccffdp.kota@gmail.com दरभाप:- 0744-2500194

क्रमांक:एफ13()एफसीए/समुवसं/2023/ 817

दिनांक : 7/2/23

निमित्त,

मुख्य वन संरक्षक
जोधपुर।

विषय: Diversion of 413.9002 ha. of forest land for the development of Shahpur Pumped Storage Project by M/s Greenko Energies Private Limited, Shahabad Tehsil in Baran District, Rajasthan. (Proposal No. FP/RJ/HYD/121439/2021)

प्रसंग: अति0प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफ.सी.ए.राजस्थान जयपुर का पत्र क्रमांक एफ 14(Trans) 2021/एफसीए/प्रमुवसं/4628 दिनांक 24.01.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में जिला कलेक्टर बारां ने उनके पत्रांक एफ 4(5) राजस्व/2022/11702 दिनांक 21.12.2022 से प्रकरण में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि के एवज में बारां जिले में 413.9009 है0 राजकीय भूमि उपलब्ध नहीं होना अवगत कराया है। उप वन संरक्षक बारां द्वारा प्रकरण में गैर वनभूमि जिला जैसलमेर में उपलब्ध होना बताया है। प्रयोक्ता अभिकरण एवं उप वन संरक्षक बारां द्वारा उपलब्ध कराये गये क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु जैसलमेर जिले में प्रस्तावित गैर वनभूमि के दस्तावेज (खसरा विवरण, राजस्व मैप, के0एम0एल0 फाईल) आदि इस कार्यालय में प्रेषित किये हैं।

अतः जैसलमेर जिले में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित गैर वनभूमि के दस्तावेज (खसरा विवरण, राजस्व मैप, के0एम0एल0 फाईल) का एक सेट प्रेषित कर निवेदन है कि दस्तावेजों का भली भांति अवलोकन कर जैसलमेर जिले में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित गैर वनभूमि की स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र उप वन संरक्षक जैसलमेर/इ.गा.न.प. जैसलमेर से प्राप्त कर शीघ्र भिजवावे ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार एक सेट मय सी0डी।

भवदीय

(महेश चन्द गुप्ता)

संभागीय मुख्य वन संरक्षक

कोटा

क्रमांक:एफ13(वन संरक्षण)/समुवसं/2023/ 818-20

दिनांक : 7/2/23

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए राजस्थान जयपुर को पत्रांक 4628 दिनांक 24.01.2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित कर निवेदन है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कन्जर्वेशन रिजर्व शाहबाद जिला बारां में 413.9009 है0 वन भूमि प्रत्यावर्तन के बदले प्रस्तावित गैर वन भूमि बारां के स्थान पर जैसलमेर में कय कर उपलब्ध कराई जा रही है जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, जिसका अपना पृथक इको सिस्टम है, जिसमें एन.एफ.एल.के तहत 1100 पौध प्रति है0 लगाया जाना ईकोलोजी की दृष्टि से उपयुक्त नहीं होगा। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु मरुस्थलीय क्षेत्र का चयन आपके पत्रांक एफ 14()एपीओ/2022-23/कैम्पा/अप्रमुवसं/9236-48 दिनांक 03.02.2023 से प्रेषित प्रमुख वानिकी एवं वन्य जीव संस्थाओं द्वारा किए गए अध्ययन की प्रति में उल्लेखित तथ्यों के भी अनुरूप नहीं है।
2. उप वन संरक्षक बारां को पत्रांक 965 दिनांक 01.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
3. Greenko Energies Private Limited.

संभागीय मुख्य वन संरक्षक

कोटा